JYOTI ARORA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2014

अधिसूचना

सा.का.नि. 755(अ). विद्युत अधिनियम, 2003 जिसे इसमें (इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 83 की उप-धारा (1) यह उपबंध करती है कि (क) दो या उससे अधिक राज्यों की सरकारों; या (ख) एक या उससे अधिक संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में केंद्रीय सरकार और एक या उससे अधिक राज्यों की सरकारों द्वारा किए जाने वाले करार करके एक संयुक्त आयोग का गठन किया जा सकेगा और यह ऐसी अवधि के लिए प्रवर्तित किया जायेगा और आगे की प्रत्येक अवधि यदि कोई हो, के लिए नवीकरण के अधीन होगा जैसा करार में अनुबंद्ध किया जाए ।

और जब कि केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय सरकार को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करते हुए भागीदार राज्य सरकारों द्वारा एक समझौता ज्ञापन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) हस्ताक्षरित करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) के अधीन तारीख18 जनवरी, 2005 की अधिसूचना द्वारा मणिपुर और मिजोरम संयुक्त के लिए विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया था ।

और जब कि उक्त अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) के अधीन, केंद्रीय सरकार, यदि सभी भागीदार राज्यों द्वारा इस प्रकार से प्राधिकृत किया जाए, कि वह एक संयुक्त आयोग का गठन करे और उक्त अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (3) के अधीन निर्दिष्ट सभी या किसी मामले के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करे और जहां भागीदार राज्यों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से वैसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।

और यह कि उक्त करार के खण्ड (xxi) द्वारा मणिपुर और मिजोरम राज्यों ने भारत सरकार को मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के गठन और संयुक्त आयोग से संबंधित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है ।

अतः अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103, धारा 106 और धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) और (ञ) के साथ पठित धारा 83 की उप धारा (3) और उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मणिपुर और मिजोरम राज्य संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (निधि का गठन और उपयोजन की रीति और बजट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(2) परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-

(क) "लेखा अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए लेखा संयुक्त आयोग द्वारा तैयार किए जायेंगे और वित्तीय वर्ष के समवर्ती होंगे;

(ख) "अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ग) "बजट" से अधिनियम की धारा 106 के अनुसार संयुक्त आयोग द्वारा तैयार की गई प्राक्कलित आय और व्यय अभिप्रेतहै ।

(घ) "अध्यक्ष" से मणिपुर और मिजोरम राज्य संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(ङ) "आहरण और संवितरण अधिकारी" से संयुक्त आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो संयुक्त आयोग की ओर से आहरण करे और भुगतान करे ।

(च) "वित्तीय वर्ष" से किसी वर्ष की पहली अप्रैल से आरम्भ होकर 12 कैलेण्डर मास से अनधिक अवधि और अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि, अभिप्रेत है;

(छ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(ज) "निधि" से मणिपुर और मिजोरम राज्य संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की निधि अभिप्रेत है;

(झ) "संयुक्त आयोग" से अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (5) के अधीन गठित मणिपुर और मिजोरम राज्य संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।

(ञ) "सदस्य" से मणिपुर और मिजोरम राज्य संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य अभिप्रेत है ।

(ट) "भागीदार राज्य " से मणिपुर और मिजोरम राज्य अभिप्रेत हैं ।

(ठ) "सचिव" से मणिपुर और मिजोरम राज्य संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का सचिव अभिप्रेत है ।

2. उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में है ।

3. निधि का गठन –

(1) केन्द्रीय सरकार के मणिपुर और मिरोजम राज्य संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग निधि नामक एक निधि का गठन करती है ।

(2) निधि, भारतीय लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी और यह एक व्यपगत न होने वाला और ब्याज रहित लेखा होगा ।

(3) इस निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होगा –

(i) अधिनियम की धारा 102 के अधीन भागीदार राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को दिया गया कोई अनुदान और ऋण तथा भागीदार राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त आयोग को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ii) अधिनियम के अधीन संयुक्त आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अन्य स्रोतों से संयुक्त आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां;

4. निधि का उपयोजन – निधि का उपयोजन निम्नलिखित को पूरा करने के लिए किया जाएगा–

(क) संयुक्त अयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) अधिनियम की धारा 86 के अधीन संयुक्त आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय;

(ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और उसके प्रयोजनों के लिए व्यय

5. निधि से रकम का जारी किया जाना -

(1) संयुक्त आयोग किसी वित्तीय वर्ष में अपने वार्षिक बजट के संबंध में निधि से रकम जारी करने की दोबार (अप्रैल और सितम्बर मास में) मांग करेगा और संयुक्त आयोग से ऐसी अध्यपेक्षा के प्राप्त होने पर –

(क) केन्द्रीय सरकार निधि में विद्युत मंत्रालय के वार्षिक बजट में संसद द्वारा अनुमोदित संयुक्त आयोग के लिए अनुदानों और ऋणों की रकम के समुचित भाग को अंतरित करेगी;

(ख) भागीदार राज्य सरकारें निधि में संबंधित राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित संयुक्त आयोग के लिए अनुदानों और ऋणों को अंतरित करेगी;

(ग) केन्द्रीय सरकार अपने वेतन और लेखा कार्यालय के माध्यम से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा संयुक्त आयोग को निधि से यथा अध्यपेक्षित रकम साथ-साथ जारी करेगी ।

(2) संयुक्त आयोग इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित रीति में अनुदानों और ऋणों के उचित लेखे और अन्य अभिलेख रखेगा ।

(3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संयुक्त आयोग आरंभिक अधिशेष, निधि से प्राप्त रकम (अनुदानों और ऋणों की रकम सहित) और उपयोजित और अनुपयोजित अतिशेष का उसमें कथन करते हुए एक उपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

6. निधि का उपयोजन करने की रीति -

(1) अधिनियम की धारा, 86 के अधीन संयुक्त आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में और अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यय करेगा ।

(2) बैंक खाते का खोला जाना -

(क) आयोग का पूर्ण विनिश्चय के पश्चात संयुक्त आयोग किसी राष्ट्रीकृत वाणिज्यिक बैंक में निधि के लिए मुख्य खाता खोलने और उसका रख-रखाव करेगा तथा जैसा कि संयुक्त आयोग उपयुक्त समझे, ऐसे बैंकों की अन्य शाखाओं में सहायक खातों का रख-रखाव करेगा ।

(ख) संयुक्त आयोग नाम निर्दिष्ट बैंक या बैंकों में उनकी जानकारी और अभिलेखों के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में अपने दो अधिकारियों के हस्ताक्षर के नमूने उपलब्ध कराएगा ।

(ग) नामनिर्दिष्ट बैंक या बैंकों संयुक्त आयोग को दैनिक संदाय और प्राप्ति सूची प्रस्तुत करेगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि संदाय सूची में उपदर्शित चैक ऐसे हैं जो संयुक्त आयोग द्वारा जारी किए गए हैं और बैंकों के साथ प्रत्येक संव्यवहार का समाधान करेगी ।

(3) बैंकों से निधियों के आहरण-

(क) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर नाम निर्दिष्ट किए गए संयुक्त आयोग के आहरण और संवितरण अधिकारी जो उप सचिव स्तर के नीचे का न हो, के द्वारा निधि प्रचालित की जाएगी ।

(ख) आहरण और संवितरण अधिकारी और संयुक्त आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक के प्रस्तुत करने के पश्चात ही बैंक खाते से आहरण किया जाएगा ।

(ग) आहरण और संवितरण अधिकारी संयुक्त आयोग की ओर से रसीदों और भुगतानों के समुचित लेन-देन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

(घ) आहरण और संवितरण अधिकारी, प्रत्यायित बैंकों में जमा किए गए चैकों/डिमांड ड्राफ्ट की राशि जो संयुक्त आयोग के खाते में समय पर जमा की जा चुकी है और उनके साथ रसीदों और भुगतान किए गए खातों से मिलान भी किया गया है, को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

7. बजट

(1) बजट का आवर्तन और तैयारी

संयुक्त आयोग अपना बजट तैयार करेगा जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आयोग की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होगा ।

(2) संयुक्त आयोग द्वारा प्रति वर्ष सितम्बर के अन्त तक आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार किया जाएगा और अधिनियम की धारा 106 के अनुसार इसकी अनुमानित प्राप्तियों को ध्यान में रखने के पश्चात केंन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, संयुक्त आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवश्यकताओं को सम्यक रूप से ध्यान में रखने के पश्चात संसद द्वारा किए गए विनियोग के पश्चात संयुक्त आयोग को आवश्यकतानुसार ऐसी राशि का अनुदान और ऋण दे सकती है ।

8. बजट का प्ररूप और सारांश

उपाबंध-1 पर दिए गए रूप विधान में प्राक्कलित प्राप्ति और व्यय और उपाबंध-2 में अंतिम अनुदान का ब्यौरा देते हुए संयुक्त आयोग के बजट में चालू वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन और अगले वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन सम्मिलित होगा और क्रमशः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर और 15 जनवरी तक उन्हें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

9. लेखे

(1) मणिपुर और मिजोरम राज्य संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लेखों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार निधि के लेखों का रख-रखाव किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष, वित्त को देखने वाले एक सदस्य और आयोग के सचिव द्वारा संयुक्त आयोग के खाते को अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

10. लेखाओं की संपरीक्षा -

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए संयुक्त आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित संयुक्त आयोग के लेखे, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ (संयुक्त आयोग के प्रचालन के प्रारंभिक पाँच वर्षों के लिए) और भागीदार राज्य सरकारों को (संयुक्त आयोग के प्रचालन के छठे वर्ष और उसके आगे से) संयुक्त आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को संसद के प्रत्येक सदन और भागीदार राज्य विधान-मण्डल के समक्ष संपरीक्षा रिपोर्ट को रखने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए प्रतिवर्ष भेजे जाएगें।

11. शक्तियों का प्रत्यायोजन

(1) संयुक्त आयोग के अध्यक्ष को, निम्नलिखित विषयों को छोड़कर वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 13, साधारण वित्तीय नियम, 2005 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के साथ पठित अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में दी गई मदों से संबंधित केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग को दी गई शक्तियां सम्मिलित होंगी।

(क) पदों का सृजन;

(ख) एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों का पुनःविनियोग;

(ग) यानों का क्रय;

(घ) हानि को बट्टे खाते में डालना;

(ङ) विदेश में संगोष्ठियों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आयोग के किसी अधिकारी को अनुमति देना;

परन्तु यह कि इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियम, 1978 और अन्य साधारण नियमों में अंतर्विष्ट साधारण निबंधनों और शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगा।

(2) संयुक्त आयोग विभिन्न व्ययों की मंजूरी और संयुक्त आयोग, संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बीच शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए विस्तृत प्रक्रिया को अधिकथित करेगा।

12. निधि का समापन

(1) जब तक अधिनियम के संगत लागू रहेंगे तब तक निधि का प्रचालन जारी रहेगा।

(2) निधि के समापन के समय पर जब निधि की और आवश्यकता नहीं होती है तब निधि के अंतर्गत खर्च नहीं की गई राशि को सरकारी खजाने में जमा कराना होगा।

[फा. सं. 47/1/2009-आर एण्ड आर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

उपाबंध-I

(चालू वर्ष) के पुनरीक्षित प्राक्कलन/

(अगले वर्ष) के बजट प्राक्कलन
(नियम 8 देखें)

लेखा शीर्ष	पिछले दो वर्षों के वास्तविक		बजट आबंटन	प्रथम 6 मासों के वास्तविक (पूर्ववर्ती 2 वर्ष और अंतिम वर्ष)			पिछले 6 मासों के लिए वास्तविक (पूर्ववर्ती 2 वर्ष)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पिछले 6 मासों का प्राक्कलन (अंतिम वर्ष)	कुल पुनरीक्षित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन	आबंटन और पुनरीक्षित प्राक्कलन के बीच अंतर (11-14)
10	11	12	13

(बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन) के बीच अंतर (12-11)	अंतर के कारण
14	15

टिप्पण 1. लेखा शीर्ष परिशिष्ट क पर सूची के अनुसार होंगे।

टिप्पण 2. बजट उपबंधों को परिशिष्ट ख पर यथा सूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापन के साथ स्पष्ट किया जाएगा।

उपाबंध-II

अन्तिम अनुदान विवरण (वित्तीय वर्ष)
(नियम 8 देखें)

लेखा शीर्ष	प्राप्त पुनरीक्षित आबंटन	प्रथम 10 मासों के वास्तविक	पिछले 2 मास की अपेक्षा	कुल अंतिम अनुदान	शुद्ध बचत/ आधिक्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पण 1. लेखा शीर्ष परिशिष्ट क पर सूची के अनुसार होंगे।

टिप्पण 2. बजट उपबंधों को परिशिष्ट ख पर यथा सूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापन के साथ स्पष्ट किया जाएगा।

परिशिष्ट-क

परिशिष्ट-क ब्यौरे वार लेखा शीर्ष (वर्णन सहित) जिसके अधीन संयुक्त आयोग बजट विवरणों और उसके स्पष्टकारी ज्ञापन प्रस्तुत करेगा

लेखावर्णन

कोड

राजस्व

2. फीस और प्रभार

2.1 फीस

2.2 प्रभार

2.3 जुर्माने

योग

2.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

कुल योग

3. अनुदान

3.1 सरकार से

3.2 अन्य से

योग

4. दान

5. संगोष्ठियां और सम्मेलन

6. प्रकाशनों का विक्रय

7. विनिधानों पर आय और निक्षेप

7.1 विनिधानों पर आय

7.2 निक्षेपों पर आय

8. उधार

8.1 सरकार से

8.2 अन्यसे (विनिर्दिष्ट करें)

9. आस्तियों का विक्रय

10. विनिधानों का विक्रय

11. वेतन बिलों से वसूलियां

11.1 उधारों और अग्रिमों की मूल रकम

11.2 उधारों और अग्रिमों पर ब्याज

12. प्रकीर्ण आय

12.1 आस्तियों के विक्रय पर अभिलाभ

12.2 कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

व्यय

13. अध्यक्ष और सदस्य

13.1 वेतन और भत्ते

13.2 अन्य फायदे

13.3 यात्रा व्यय

13.3.1 विदेश

13.3.2 घरेलू

14. अधिकारी

14.1 वेतन और भत्ते

14.2 सेवानिवृत्ति फायदे

14.3 अन्य फायदे

14.4 यात्रा व्यय

14.4.1 विदेश

14.4.2 घरेलू

15. कर्मचारिवृंद

15.1 वेतन और भत्ते

15.2 सेवानिवृत्ति फायदे

15.3 अन्य फायदे

15.4 यात्रा व्यय

15.4.1 विदेश

15.4.2 घरेलू

16. वाहन-भाड़ा

17. मजदूरी

18. अतिकाल

19. मानदेय

20. अन्य कार्यालय व्यय

21. अनुसंधान परव्यय

22. परामर्श फीस

23. संगोष्ठियां और सम्मेलन

24. संयुक्त आयोग के प्रकाशन

25. किराया और कर

26. उधारों पर ब्याज

27. प्रवर्तन संबंधी व्यय

28. सदस्यता फीस

29. अभिदान

30. स्थिर आस्तियों का क्रय

31. विनिधान और निक्षेप

31.1 विनिधान

31.2 निक्षेप

32. प्रतिभूति निक्षेप

33. उधार और अग्रिम

33.1 कर्मचारियों को

33.1.1 ब्याज सहित

33.1.2 ब्याज रहित

33.2 प्रदायकर्ताओं और ठेकेदारों को

33.3 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

34. उधारों का प्रतिसंदाय

35. अन्य

35.1 छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय

35.2 संपरीक्षा फीस

35.3 प्रकीर्ण

36. वर्णन

37. आस्तियों के विक्रय पर हानि

38. बट्टे खाते में डाले गए डूबंत ऋण

39. डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध

योग

परिशिष्ट-ख

मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त आयोग के पुनरीक्षित प्राक्कलन/बजट प्राक्कलन का स्पष्टीकरण ज्ञापन

पूर्ववर्ती वर्ष में वास्तविक स्थापन पद संख्या और उसकी लागत सहित प्राक्कलन में उसके लिए चाहे गए उपबंध सहित स्थापन के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण।

मूल लागत, पुनरीक्षण, यदि कोई हो, को उपदर्शित करते हुए पांच लाख से अधिक की लागत वाली एकल परियोजनाओं/परामर्शों के प्राक्कलन और बजट अनुदानों में परियोजना के लिए चाहे गए उपबंध।

1. बजट/पुनरीक्षित प्राक्कलनों में विदेशी मुद्रा घटक के ब्यौरे।
2. बजट वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के प्राक्कलन।
3. बजट वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संयुक्त आयोग के वित्तीय परिणामों को दर्शित करने वाला विवरण।

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th October, 2014

NOTIFICATION

G.S.R. 755(E).— Whereas sub-section (1) of Section 83 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter in this notification referred to as the said Act) provides that a Joint Commission may be constituted by an agreement to be entered into (a) by two or more Governments of States; or (b) by the Central Government, in respect of one or more Union territories, and one or more Governments of States, and shall be enforced for such period and shall be subject to renewal for each further period, if any, as may be stipulated in the agreement;

And whereas the Central Government had constituted a Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram *vide* notification dated the 18th January, 2005 under sub-section (5) of Section 83 of the said Act, after the participating State Governments signed a Memorandum of Agreement (hereinafter in this notification referred to as the said Agreement) authorizing the Central Government to do so;

And whereas sub-section (5) of Section 83 of the said Act, the Central Government may, if so authorized by all the participating States, constitute a Joint Commission and may exercise the powers in respect of all or any of the matters specified under sub-section (3) of Section 83 of the said Act and when so specifically authorized by the participating States;

And whereas *vide* clause (xxi) of the said Agreement, the States of Manipur and Mizoram have authorized Government of India to constitute a Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram and to frame rules to carry out the provisions of the said Act relating to the Joint Commission;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 83 read with Sections 103, 106 and clause (g) and (j) of sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act, 2003, the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram (Constitution and the manner of application of the Fund and Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Accounting period" means the period for which the accounts have to be prepared by the Joint Commission and shall be concurrent with the financial year;

(b) "Act" means the Electricity Act, 2003(36 of 2003);

(c) "Budget" means the statement of estimated income and expenditure of the Joint Commission prepared as per section 106 of the Act;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram.

(e) "Drawing and Disbursing Officer" means an officer designated as such by the Joint Commission to draw and make payments on behalf of the Joint Commission;

(f) "Financial Year" means a period not exceeding twelve calendar months commencing on the 1st April of a year and concluding on the 31st March of the subsequent year;

(g) "Form" means a form appended to these rules;

(h) "Fund" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram Fund;

(i) "Joint Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram constituted under sub-section (5) of section 83 of the Act;

(j) "Member" means a member of Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram;

(k) "Participating State" means the State of Manipur and the State of Mizoram;

(l) "Secretary"' means Secretary of Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram.

(2) All the words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Constitution of the Fund. -

(1) The Central Government hereby constitutes a Fund to be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram Fund.

(2) The Fund shall be opened under the Public Account of India and this shall be a non-lapsable and non-interest bearing account.

(3) The Fund shall comprise of the following –

(i) any grants and loans made to the Joint Commission by the Central Government pursuant to the Memorandum of Agreement signed by the Participating States with the Central Government and any grants and loans made to the Joint Commission by the Participating State Governments under section 102 of the Act;

(ii) all fees received by the Joint Commission under the Act;

(iii) all sums received by the Joint Commission from other sources as may be decided upon by the Central Government from time to time.

4. Application of the Fund. - The Fund shall be applied for meeting -

(a) the salary, allowances and other remuneration of the Chairperson, Members, Secretary, Officers and other employees of the Joint Commission;

(b) the expenses of the Joint Commission in discharge of its functions under section 86 of the Act; and

(c) the expenses on objects and for the purposes authorised by the Act.

5. Release of amount from the Fund. -

(1) The Joint Commission shall seek release of amount from the Fund against its annual budget twice (in the month of April, and September) in a financial year and upon receiving such a requisition from the Joint Commission -

(a) the Central Government shall transfer the appropriate part of the sums of grants and loans for the Joint Commission approved by the Parliament in the annual budget of the Ministry of Power to the Fund;

(b) the Participating State Governments shall transfer the sums of grants and loans for the Joint Commission approved by the respective State Legislatures to the Fund;

(c) the Central Government shall simultaneously release the amount as requisitioned from the Fund to the Joint Commission by account payee cheque through its Pay and Accounts Office.

(2) The Joint Commission shall maintain proper accounts and other records of the grants and loans in the manner as may be specified by the Central Government in this behalf.

(3) At the close of Financial Year, the Joint Commission shall furnish a utilisation certificate stating therein the opening balance, amount (including of grants and loans) received from the Fund and utilised and the balance remaining unutilised.

6. Manner of applying the funds.-

(1) The Joint Commission shall meet expenses required in connection with the discharge of its functions under section 86 of the Act and also for meeting objects and purposes authorised by the Act.

(2) Opening of Bank Account -

(a) The Joint Commission shall after taking a decision of the full commission to open the main account of the fund to be maintained in a Nationalised commercial bank and subsidiary accounts shall be maintained at such other branches of such banks as the Joint Commission considers appropriate.

(b) The Joint Commission shall make available the specimen signatures of two of its officers to the authorised signatory to the nominated bank or banks for their information and record.

(c) The nominated bank or banks shall furnish daily payments and receipts scrolls to the Joint Commission which shall ensure that the cheques appearing in the payment scrolls are those issued by the Joint Commission and reconcile each transaction with the banks.

(3) Drawal of funds from the banks -

(a) The Fund shall be operated by the drawing and disbursing officer of the Joint Commission not below the rank of Deputy Secretary, as may be designated by the Chairperson from time to time.

(b) The withdrawal from the bank account shall be made only on presentation of cheque signed by the Drawing and Disbursing Officer and one other officer designated by the Joint Commission.

(c) The Drawing and Disbursing Officer shall be responsible for monitoring the proper transactions of receipts and payments on behalf of the Joint Commission.

(d) The Drawing and Disbursing Officer shall be responsible to ensure that the amount of cheques and demand drafts deposited in the accredited banks have been timely credited in the accounts of the Joint Commission and shall also reconcile the receipts and payments accounts with them.

7. Budget. -

(1) Periodicity and preparation of Budget -

The Joint Commission shall prepare its budget which shall be the annual financial statement of the estimated receipts and expenditure of the Commission for the ensuing financial year.

(2) The Budget for the ensuing financial year shall be prepared by the Joint Commission by the end of September every year and forwarded to the Central Government, after taking into account its estimated receipts, vide section 106 of the Act.

(3) The Central Government may, after due appropriation made by the Parliament, make to the Joint Commission grants and loans of such sums of money as considers necessary, after having due regard to the requirement as communicated by the Joint Commission.

8. **Form and content of the Budget. -**

The Budget of the Joint Commission shall include the Revised Estimates of the current year and the Budget Estimates for the next year, giving details of estimated receipts and expenditure in the format as at Annexure-I and Final grant as at Annexure-II and submit them to the Central Government by the 30th September and the 15th January of each financial year respectively.

9. Accounts. -

(1) The accounts of the Fund shall be maintained as per the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2014.

(2) The accounts of the Joint Commission shall be authenticated by the Chairperson, one Member dealing with the finance and the Secretary of the Commission.

10. Audit of the Accounts. -

(1) The accounts of the Joint Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him.

(2) The accounts of the Joint Commission as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with audit report thereon shall be forwarded annually to the

Central Government (for the first five years of operation of the Joint Commission) and to the Participating State Governments (from the sixth years of operation of the Joint Commission onwards*)* by the Joint Commission to enable it to place the audit report before each House of Parliament and the Participating State Legislatures.

11. Delegation of Powers. -

(1) The Chairperson of the Joint Commission shall have the powers of a Department of the Central Government relating to items as given in schedule V and schedule VI read with rule 13 of Delegation of Financial Powers Rules 1978, the General Financial Rules 2005and the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, except in the following matters -

(a) Creation of posts;

(b) re-appropriation of funds from one head to another;

(c) purchase of vehicles;

(d) write off of loss; and

(e) permitting any officer of the Commission to participate in seminars, conferences or training programme abroad:

Provided that the exercise of these powers shall be subject to the general restrictions and conditions contained in the Delegation of Financial Power Rules, 1978 and other general rules and orders issued by the Government of India from time to time.

(2) The Joint Commission shall lay down the detailed procedure for sanction of various expenditure and delegation of power among the Joint Commission, Chairman and Secretary of the Joint Commission.

12. Closure of the Fund. -

(1) The Fund shall remain operative so long as the relevant provisions of the Act remain in force.

(2) At the time of closure of the Fund, when the fund is no longer required, all the unspent balance under the fund shall be remitted into the Government Treasury.

[F. No. 47/1/2009-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

ANNEXURE – I

Revised Estimates of (Current Year)/

Budget Estimates of (Next Year)

(See rule 8)

Head of Account	Actuals Last two Years		Budget Allotment	Actuals of first 6 months (prev 2 years and FY)			Actuals for the last 6 months (prev 2 years)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Estimate last 6 months (FY)	Total Revised Estimate	Budget Estimate	Difference between Allotment & RE (11-4)
10	11	12	13

Difference between (BE & RE) (12-11)	Reasons for Variation
14	15

Note1 : Heads of Account shall be as per list at Appendix A

Note 2 : Budgetary provisions shall be explained with detailed memoranda as listed at Appendix B.

ANNEXURE – II

Final Grant Statement (Financial Year)

(See rule 8)

Head of Account	Revised Allotment received	Actuals of first 10 months	Requirement last 2 months	Total Final Grant	Net Savings/ Excess	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Note 1 : Heads of Account shall be as per list at Appendix A.

Note 2 : Budgetary provisions shall be explained with detailed memoranda as listed at Appendix B.

Appendix A

Detailed Heads of Account (with description) under which Joint Commission shall furnish budget Statements and Explanatory Memoranda thereto

A/c Code — Description

REVENUE

2. Fee and Charges

2.1 Fee

2.2 Charges

2.3 Fines

Total

2.4 Others (Specify)

Grand Total

3. Grants

3.1 From Government

3.2 From others

Total

4. Gifts

5. Seminars and Conferences

6. Sales of Publications

7. Income on Investments and Deposits

7.1 Income on investments

7.2 Income on Deposits

8. Loans

8.1 From Government

8.2 From Others (specify)

9. Sale of Assets

10. Sale of Investments

11. Recoveries from pay bills

11.1 Principal amount of Loans and Advances

11.2 Interest on Loans and Advances

12. Miscellaneous Income

12.1 Gain on sale of assets

12.2 Any Others (specify)

<u>EXPENDITURE</u>

13. Chairperson and Members

13.1 Pay and Allowances

13.2 Other benefits

13.3 Travelling expenses

13.3.1 Overseas

13.3.2 Domestic

14. Officers

14.1 Pay and Allowances

14.2 Retirement benefits

14.3 Other benefits

14.4 Travelling expenses

14.4.1 Overseas

14.4.2 Domestic

15. Staff

15.1 Pay and Allowances

15.2 Retirement Benefits

15.3 Other benefits

15.4 Travelling expenses

15.4.1 Overseas

15.4.2 Domestic

16. Hire of Conveyance

17. Wages

18 Overtime

19. Honorarium

20. Other Office Expenses

21. Expenditure on Research

22. Consultation fee

23. Seminars and Conferences

24. Publications of the Joint Commission

25. Rent and Taxes

26. Interest on Loans

27 Promotional Expenses

28. Membership fee

29. Subscription

30. Purchase of fixed assets

31. Investments and Deposits

31.1 Investments

31.2 Deposits

32. Security Deposits

33. Loans and Advances

33.1 To employees

33.1.1 Bearing Interest

33.1.2 Not-bearing interest

33.2 To Suppliers and Contractors

33.3 Others (to specify)

34. Repayment of Loans

35. Others

35.1 Leave salary and pension contribution

35.2 Audit fee

35.3 Miscellaneous

36. Depreciation

37. Loss on sale of assets

38. Bad debt written off

39. Provision for bad & doubtful debts

Total

Appendix B

Explanatory Memoranda to RE/BE Statements of the Joint Commission for the States of Manipur and Mizoram

1. Statement showing grade-wise details of establishment with provision sought therefor in the estimates, with actual establishment strength and cost thereof in previous year.
2. Estimates of individual projects/consultancies costing over Rs. 5 lakhs indicating original cost, revisions if any and provisions sought for the project in the budget grants.
3. Details of Foreign exchange component in the Budget/Revised estimates.
4. Estimates of Revenue Receipts in Budget Year and previous year.
5. Statement showing financial results of the Joint Commission for the budget year and previous year.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.